



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1948 (श10)
(सं0 पटना 976) पटना बुधवार 12 अगस्त 2026

परिवहन विभाग

अधिसूचना

10 अगस्त 2026

सं० 05/स्था0 (DTO)-30/2013 (छा0 सं0)/6520—जिला पदाधिकारी, सिवान के अनुशंसा के आलोक में श्री इस्ताक अली अंसारी, अपर समाहर्ता (लो0शि0नि0) सह—जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सिवान को उनके दायित्वों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सिवान के कार्यों का निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री अली अंसारी को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी, सिवान की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
इन्दु कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 976-571+10-डी0टी0पी0
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>